

बिहार विधान सभा सचिवालय

विज्ञापन संख्या-05/2023

आवश्यक सूचना

1. विज्ञापन संख्या-05/2023 के अन्तर्गत कार्यालय परिचारी के पद पर सीधी भर्ती के लिए प्रारंभिक परीक्षा दिनांक 23.08.2025 को दो पालियों में विभिन्न परीक्षा केन्द्रों पर निर्धारित की गयी है।

| | प्रथम पाली | द्वितीय पाली |
|-------------------|------------|--------------|
| Reporting Time | 07:30 AM | 12:30 PM |
| Gate Closing Time | 09:30 AM | 02:30 PM |
| Exam Start Time | 10:00 AM | 03:00 PM |

2. इस परीक्षा की अवधि 2 (दो) घंटे की होगी तथा इसमें कुल 100 प्रश्न होंगे एवं प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का होगा। सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय होंगे। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती भी की जाएगी।
3. प्रारंभिक परीक्षा में भाषा का माध्यम हिन्दी/अंग्रेजी होगा। अगर हिन्दी एवं अंग्रेजी के प्रश्न पत्रों में कोई भिन्नता होगी तो अंग्रेजी के प्रश्न ही मान्य होंगे। सामान्य हिन्दी विषय के प्रश्न सिर्फ हिन्दी (देवनागरी लिपि) में मुद्रित रहेंगे।

इस परीक्षा में निम्नांकित विषय होंगे :-

- (क) सामान्य ज्ञान – प्रश्नों की संख्या 40 होगी।
(ख) सामान्य अंक गणित – प्रश्नों की संख्या 30 होगी।
(ग) सामान्य हिन्दी – प्रश्नों की संख्या 30 होगी।

4. परीक्षा में अभ्यर्थी ओ०एम०आर० (OMR) उत्तर पत्रक पर वांछित सूचनाओं (यथा-रौल नम्बर, प्रश्न पुस्तिका नम्बर, अनुच्छेद लेखन तथा हस्ताक्षर) की प्रविष्टि दिये गये आवश्यक निर्देशों/अनुदेशों के अनुसार करेंगे। उत्तर पत्रक (OMR) पर वांछित अनिवार्य जानकारी नहीं भरने अथवा गलत प्रविष्टि करने की स्थिति में अभ्यर्थिता स्वतः रद्द समझी जायेगी एवं उनके उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन नहीं किया जायेगा तथा इसके लिए सभा सचिवालय जिम्मेवार नहीं होगा।
5. वस्तुनिष्ठ परीक्षा के उत्तर पत्रकों (OMR Sheets) में प्रश्नों के उत्तर अभ्यर्थी द्वारा मात्र ब्लू/ब्लैक बॉल प्वाइंट पेन से रंगा जाना है और किसी भी स्थिति में एक बार अंकित उत्तर का बदलाव मान्य नहीं होगा। उत्तर के विरुद्ध अंकित उत्तर पत्रक में काट-कूट/परिवर्तन या पेंसिल द्वारा अंकित उत्तर को अमान्य कर दिया जायेगा।
6. अभ्यर्थी को परीक्षा समाप्त होने से पहले तथा ओ०एम०आर० (OMR) उत्तर-पत्रक व उन्हें दी गयी प्रश्नपुस्तिका, वीक्षक को सौंपे बिना परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं मिलेगी। इन्हें ले जाने का प्रयत्न करना दण्डनीय अपराध है।
7. परीक्षा अवधि की समाप्ति के उपरांत ही परीक्षार्थी परीक्षा कक्ष से बाहर जाएंगे।
8. अभ्यर्थी कार्यालय परिचारी पद की परीक्षा के लिए अपना प्रवेश-पत्र दिनांक 11.08.2025 से 20.08.2025 तक बिहार विधान सभा की वेबसाईट <https://vidhansabha.bihar.gov.in> से डाउनलोड कर सकते हैं।

अभ्यर्थियों को डाक से (By Post) प्रवेश-पत्र निर्गत नहीं किया जायेगा।

9. अभ्यर्थी परीक्षा केन्द्र पर ब्लू/ब्लैक बॉल प्वाइंट पेन, प्रवेश-पत्र (Admit Card) एवं पहचान-पत्र की मूल प्रति के साथ उपस्थित होंगे तथा प्रवेश-पत्र (Admit Card) पर अंकित अनुदेश का अध्ययन कर उसका अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
10. अभ्यर्थी को निदेश दिया जाता है कि वे परीक्षा केन्द्र पर फुल शर्ट/जूता (Shoes)/ऊँची सैंडल पहन कर नहीं आयें। हाफ शर्ट/चप्पल/सामान्य सैंडल (low heels) ही पहन कर आयें।

AKS

11. परीक्षा केन्द्र में घड़ियाँ, पुस्तकें, कागज के टुकड़े पत्रिकाएँ, इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स यथा मोबाइल फोन, ब्लूटूथ डिवाइस, हेडफोन, पेन-बटन होल कैमरा, स्कैनर, कैलकुलेटर, स्टोरेज डिवाइस आदि लाना सख्त वर्जित है। यदि ऐसी कोई सामग्री परीक्षा-कक्ष में अभ्यर्थी के पास पाई जाती है तो उसकी अभ्यर्थिता रद्द की जा सकती है और उसके विरुद्ध कानूनी/आपराधिक कार्रवाई आरम्भ की जा सकती है।
12. सभी केन्द्रों पर परीक्षा CCTV की निगरानी में ली जायेगी।
13. अभ्यर्थियों को परीक्षा केन्द्र पर तलाशी (Frisking) की प्रक्रिया से गुजरना होगा।
14. अभ्यर्थी अपनी उपस्थिति बायोमैट्रिक मशीन तथा उपस्थिति पत्रक में दर्ज करेंगे अन्यथा उन्हें अनुपस्थित माना जायेगा।
15. परीक्षार्थियों को किसी भी परिस्थिति में वीक्षक की अनुमति प्राप्त किए बिना परीक्षा कक्ष से बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी। यदि कोई परीक्षार्थी वीक्षक/पर्यवेक्षक की अनुमति प्राप्त किए बिना परीक्षा-कक्ष से बाहर जाता है तो उन्हें पुनः प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी तथा उन्हें परीक्षा से वंचित कर दिया जाएगा।
16. प्रवेश पत्र पूर्णतः औपबन्धिक है। प्रवेश पत्र निर्गत होने से अभ्यर्थी की अहर्ता सम्पुष्ट नहीं होती है। आपके द्वारा ऑनलाइन आवेदन में की गई प्रविष्टि एवं दी गई सूचना तथा उससे संबंधित कागजात में किसी प्रकार की भिन्नता रहने पर उनकी अभ्यर्थिता रद्द की जा सकती है।

कोई भी व्यक्ति चाहे वह सरकारी अथवा गैर सरकारी वाह्य व्यक्ति हों बिहार विधान सभा सचिवालय में नौकरी दिलाने के नाम पर आपसे सम्पर्क स्थापित कर ठगी करने का प्रयास करते हैं तो ऐसे तत्वों के संबंध में अविलंब दूरभाष संख्या-0612-2215709 तथा ई-मेल: secretarybvs@gmail.com पर सूचित करें। ऐसे किसी तत्वों से संलिप्तता पाये जाने पर संबंधित अभ्यर्थी की उम्मीदवारी रद्द कर दी जायेगी।


अवर सचिव,

बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना।